राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं अध्यापक शिक्षा
एक समालोचनात्मक अध्ययन

निकिता श्रीवास्तव*
आनंद कुमार**

यह लेख राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं अध्यापक शिक्षा के संदर्भ में किए गए व्यापक सुधारों और उनके प्रभावों पर केंद्रित है। उक्त लेख में अध्यापक शिक्षा की वर्तमान स्थिति का गहन विश्लेषण किया गया है, जिसमें वर्तमान प्रणाली की प्रमुख चुनौतियों जैसे प्रशिक्षण की गुणवत्ता में असमानता, व्यावहारिक अनुभव की कमी, तकनीकी ज्ञान की न्यूनता, पाठ्यक्रम की अप्रासंगिकता तथा नवाचार व शोध की उपेक्षा आदि पर विस्तार से चर्चा की गई है। यह लेख राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.ई.पी.) 2020 द्वारा अध्यापक शिक्षा में प्रस्तावित प्रमुख सुधारों पर चर्चा करता है। इनमें चार वर्षीय एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, बहु-विषयक संस्थानों के अंतर्गत शिक्षक प्रशिक्षण, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा नवीन दिशानिर्देशों का निर्माण और तकनीक-सक्षम शिक्षण को प्रोत्साहन जैसे पहलुओं को सम्मिलित किया गया है। नीति में शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास, शिक्षण अधिगम के परिणामों पर केंद्रित मूल्यांकन, तथा नैतिक और मूल्य-आधारित शिक्षा को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। साथ ही, एन.ई.पी. 2020 की रूपरेखा को गहराई से विश्लेषित किया गया है, जिसमें शिक्षा प्रणाली को समावेशी, समानतामूलक, गुणवत्तापूर्ण, तकनीकी रूप से उन्नत और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की दिशा में नीति की प्रतिबद्धताओं को दर्शाया गया है। इस नीति के माध्यम से सरकार का उद्देश्य न केवल अध्यापक शिक्षा को सुदृढ़ करना है, अपितु नई पीढ़ी के शिक्षकों में ऐसी योग्यता और दृष्टिकोण विकसित करना है, जिससे वे 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रदान कर सकें। एन.ई.पी. 2020 भारतीय अध्यापक शिक्षा प्रणाली के कायाकल्प की दिशा में एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम है, जो शिक्षकों को अधिक सक्षम, नवोन्मेषी और मूल्य-आधारित बनाएगा। इससे न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा बल्कि समग्र राष्ट्रीय विकास की दिशा में भी सार्थक योगदान सुनिश्चित होगा।

शिक्षा किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास की नींव होती है। यदि यह नींव सुदृढ़ हो तो राष्ट्र उन्नति के शिखर पर पहुँच सकता है। इस प्रक्रिया में अध्यापक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही भावी पीढ़ी का निर्माण करता है। भारत में शिक्षा व्यवस्था लंबे समय

*शोध छात्रा, शिक्षा संकाय बनारस, हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी (उत्तर प्रदेश) 221 005
***प्राध्यापक,* शिक्षा विद्यापीठ श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय देहरादून (उत्तराखंड) 248 001

से विविध प्रकार की समस्याओं से जूझ रही है— जैसे गुणवत्ता का अभाव, रटने पर आधारित शिक्षण, अधूरी शिक्षक तैयारी आदि। इन सभी चुनौतियों को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.ई.पी.) लागू की। यह नीति भारत की तीसरी शिक्षा नीति है और इसे 34 वर्षों के अंतराल के बाद लाया गया। इसमें शिक्षा के हर पहलू में सुधार के सुझाव दिए गए हैं विशेषकर अध्यापक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। अध्यापक शिक्षा न केवल शिक्षक तैयार करने की प्रक्रिया है, बल्कि यह उन्हें शैक्षिक दर्शन, मनोविज्ञान, पद्धति, तकनीकी दक्षता एवं नैतिक मूल्यों से संपन्न करने की व्यवस्था है। अतः यह नीति शिक्षकों के पेशेवर विकास का नया मार्ग खोलती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की रूपरेखा को निम्नलिखित पाँच प्रमुख स्तंभों पर आधारित किया गया है—

1. पहुँच 2. समानता 3. गुणवत्ता
4. वहनीयता 5. जवाबदेही

इन स्तंभों के अंतर्गत नीति की रूपरेखा को मुख्यतया दो भागों में विभाजित किया गया है—

विद्यालयी शिक्षा

1. नई शैक्षिक संरचना— 5+3+3+4

विद्यालयी शिक्षा की नई रूपरेखा के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पारंपरिक 10+2 प्रणाली को हटाकर 5+3+3+4 की नवीन शैक्षिक संरचना लागू की गई है। इस संरचना के अनुसार, पहले पाँच वर्ष 'बुनियादी स्तर' कहलाते हैं जिसमें आँगनवाड़ी तथा कक्षा 1 और 2 सम्मिलित हैं। इसके पश्चात तीन वर्ष का 'प्रारंभिक स्तर' आता है जिसमें कक्षा 3 से 5 तक की शिक्षा दी जाती है। इसके बाद के तीन वर्ष 'मध्य स्तर' है जो कक्षा 6 से 8 तक विस्तृत हुआ है। अंततः चार वर्षों का 'माध्यमिक स्तर' है जो कक्षा 9 से 12 तक होता है। इस नवीन संरचना का मुख्य उद्देश्य शिक्षण को अधिक बाल केंद्रित, अनुभवात्मक और गतिविधि आधारित बनाना है, ताकि बच्चों की जिज्ञासा, रचनात्मकता और समझ का समुचित विकास सुनिश्चित किया जा सके।

2. मातृभाषा/स्थानीय भाषा में शिक्षा

एन.ई.पी. 2020 का सुझाव है कि कक्षा 5 या संभव हो तो कक्षा 8 तक की शिक्षा मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा या स्थानीय भाषा में दी जाए, जिससे बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता में वृद्धि हो।

3. प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा

प्रारंभिक बाल देखभाल एवं शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 'शिक्षा का आधार' माना गया है, क्योंकि यह जीवन की शुरुआती वर्षों में बच्चों के समग्र विकास की नींव रखती है। ई.सी.सी.ई. की गुणवत्ता में सुधार हेतु आँगनवाड़ी केंद्रों और प्राथमिक विद्यालयों को सशक्त बनाने पर विशेष बल दिया गया है। इस दिशा में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा एक समग्र 'राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा' विकसित की जाएगी, जो आयु उपयुक्त और विकासात्मक रूप से उपयुक्त शिक्षण को बढ़ावा देगी। साथ ही, ई.सी.सी.ई. के क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा तथा बाल मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण विधियों को अपनाने को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि बच्चों

के सामाजिक, भावनात्मक, भौतिक और बौद्धिक विकास को संतुलित रूप से पोषित किया जा सके।

4. बहुभाषी शिक्षा और भाषा नीति

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषी शिक्षा को विशेष महत्व देते हुए भाषा नीति को सुदृढ किया गया है। इसमें त्रि-भाषा सूत्र का पुनः सुझाव दिया गया है, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों को कम-से-कम दो भारतीय भाषाओं को सीखना अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य भाषायी विविधता का सम्मान करते हुए विद्यार्थियों में भाषायी क्षमता, सांस्कृतिक समझ और समावेशी दृष्टिकोण विकसित करना है। संस्कृत को सभी शैक्षिक स्तरों पर एक वैकल्पिक भाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिससे इच्छुक विद्यार्थी इसे सहज रूप से सीख सकें। इसके अतिरिक्त, कोरियाई, जापानी, जर्मन, फ्रेंच जैसी विदेशी भाषाओं को भी उच्च कक्षाओं में विकल्प के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है, जिससे वैश्विक संपर्क और अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

5. समावेशी और समतामूलक शिक्षा

बालिका शिक्षा, वंचित वर्गों, जनजातियों, विकलांग विद्यार्थियों और वंचित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है, इसके साथ ही गर्भवती छात्राओं और विद्यालय छोड़ चुके विद्यार्थियों के लिए द्वितीय अवसर की व्यवस्था भी की गई है।

6. मूल्यांकन प्रणाली में सुधार

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत मूल्यांकन प्रणाली में व्यापक सुधारों का प्रस्ताव किया गया है, ताकि यह अधिक समग्र, ज्ञान आधारित और विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य के अनुकूल हो। बोर्ड परीक्षाओं को कम तनावपूर्ण बनाने तथा उन्हें रटने की प्रवृत्ति से हटाकर विश्लेषणात्मक सोच और अवधारणात्मक स्पष्टता पर केंद्रित करने का सुझाव दिया गया है। इसके अतिरिक्त, विद्यार्थियों की निरंतर प्रगति को समझने के लिए आवधिक मूल्यांकन और 360 डिग्री समग्र मूल्यांकन की संकल्पना को प्रोत्साहित किया गया है, जिसमें शिक्षक, सहपाठी और स्वयं मूल्यांकन की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। मूल्यांकन के मानकों और गुणवत्ता की निगरानी के लिए 'परख' (प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा एवं समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण) नामक एक स्वतंत्र संस्था की स्थापना की जाएगी, जो मूल्यांकन को अधिक उद्देश्यपूर्ण और विकासोन्मुखी बनाएगी।

7. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एन.सी.एफ.)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एन.सी.एफ.) के चार प्रमुख घटकों— एन.सी.एफ.-एफ.एस. (बुनियादी स्तर), एन.सी.एफ.-एस.ई. (विद्यालयी शिक्षा), एन.सी.एफ.-टी.ई. (शिक्षक शिक्षा) और एन.सी.एफ.-ए.ई. (प्रौढ़ शिक्षा या वयस्क शिक्षा) – को वर्ष 2022 तक विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस दिशा में दो प्रमुख पाठ्यचर्या की रूपरेखाएँ— एन.सी.एफ.-एफ.एस. (बुनियादी स्तर) और एन.सी.एफ. -एस.ई. (विद्यालयी शिक्षा) – अब तक विकसित की जा चुकी हैं। इन रूपरेखाओं का उद्देश्य शिक्षा को अधिक मूल्यनिष्ठ, पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील, समावेशी तथा कौशल-आधारित बनाना

है, ताकि शिक्षण–अधिगम की प्रक्रियाएँ अधिक अर्थपूर्ण, प्रभावी और बाल-केंद्रित बन सकें।

इस रूपरेखा का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में समग्र परिवर्तन लाना है, जिससे शिक्षा अधिक मूल्यनिष्ठ, पर्यावरणीय चेतना से युक्त, समावेशी तथा कौशल आधारित बन सके। यह नई दिशा विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित करने के साथ-साथ उन्हें 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करने का प्रयास करती है।

उच्च शिक्षा

1. उच्च शिक्षा आयोग का गठन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत उच्च शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार के उद्देश्य से भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन का प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत वर्तमान की विभिन्न नियामक संस्थाओं जैसे— यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई., एन.सी.टी.ई. आदि का एकीकरण कर एक एकीकृत आयोग की स्थापना की जाएगी। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के अंतर्गत चार स्वतंत्र और विशेषज्ञ निकाय कार्य करेंगे : (1) एन.एच.ई.आर.सी.— जो नियामक कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा, (2) नैक— जो उच्च शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन और प्रमाणीकरण करेगा, (3) एच.ई.जी.सी.— जो वित्तीय सहायता और अनुदान से संबंधित कार्य देखेगा, और (4) जी.ई.सी.— जो शैक्षणिक मानकों और पाठ्यचर्या के दिशानिर्देश तय करेगा। इस संरचना का उद्देश्य उच्च शिक्षा में पारदर्शिता, गुणवत्ता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना है।

2. बहुविषयी संस्थानों का विकास

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षा को अधिक समावेशी, लचीली और व्यापक बनाने के उद्देश्य से सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को वर्ष 2035 तक बहुविषयी संस्थानों के रूप में विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अंतर्गत एकल विषय आधारित संस्थानों, जैसे केवल इंजीनियरिंग, कानून या प्रबंधन के संस्थानों की पारंपरिक अवधारणा को समाप्त करने की दिशा में पहल की जा रही है। इस परिवर्तन का उद्देश्य विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों में अध्ययन का अवसर प्रदान करना, शिक्षा और अनुसंधान के बीच संतुलन स्थापित करना, तथा समग्र और बहुआयामी ज्ञान की संस्कृति को प्रोत्साहित करना है।

3. स्नातक पाठ्यक्रमों में लचीलापन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत उच्च शिक्षा को अधिक लचीला और विद्यार्थी-केंद्रित बनाने हेतु 3 या 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम की संरचना प्रस्तावित की गई है, जिसमें बहुविकल्पीय प्रवेश और निकास की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अंतर्गत यदि विद्यार्थी एक वर्ष की पढ़ाई पूरी करता है तो उसे प्रमाण-पत्र, दो वर्ष पर डिप्लोमा और तीन या चार वर्ष की पढ़ाई पूरी करने पर स्नातक डिग्री प्रदान की जाएगी। इस प्रणाली को और अधिक सशक्त बनाने के लिए अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (ए.बी.सी.) की अवधारणा लागू की जाएगी, जिसके माध्यम से विद्यार्थी अपने अर्जित क्रेडिट को डिजिटल रूप में संग्रहित कर सकेंगे और इच्छानुसार किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से अपनी

शिक्षा को आगे बढ़ाकर उसे पूर्ण कर सकेंगे। यह व्यवस्था विद्यार्थियों को अपनी गति और सुविधा के अनुसार पढ़ाई का अवसर प्रदान करती है।

4. शिक्षक शिक्षा में सुधार

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षक शिक्षा को गुणात्मक रूप से सुदृढ़ करने के लिए व्यापक सुधारों की योजना प्रस्तावित की गई है। इसके अंतर्गत अध्यापक बनने के लिए 4 वर्षीय समेकित बी.एड. कार्यक्रम को अनिवार्य बनाया जाएगा, जिससे शिक्षकों की तैयारी एक समग्र, समकालीन और व्यावसायिक दृष्टिकोण से सुनिश्चित की जा सके। इस दिशा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.) तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद मिलकर उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का विकास कर रहे हैं। इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य शिक्षकों को न केवल विषय विशेषज्ञता में दक्ष बनाना है, बल्कि उन्हें नैतिक, संवेदनशील, समावेशी और बाल-केंद्रित शिक्षण के लिए भी तैयार करना है।

5. शोध और नवाचार को बढ़ावा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा में शोध और नवाचार को प्रोत्साहित करने पर विशेष बल दिया गया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (एन.आर.एफ.) की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। एन.आर.एफ. का प्रमुख कार्य अनुसंधान की गुणवत्ता को सुदृढ़ करना, विभिन्न विषयों में अनुसंधान गतिविधियों को प्रोत्साहन एवं वित्तपोषण प्रदान करना, तथा देश में एक जीवंत शोध संस्कृति विकसित करना होगा। यह संस्था उच्च शिक्षण संस्थानों में नवाचार, वैज्ञानिक सोच और ज्ञान निर्माण को सशक्त बनाकर भारत को वैश्विक अनुसंधान परिदृश्य में एक सशक्त भागीदार बनाने की दिशा में कार्य करेगी।

6. व्यावसायिक शिक्षा का समावेश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शिक्षा प्रणाली को अधिक कौशलोन्मुख और रोजगारपरक बनाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा के समावेश पर विशेष बल दिया गया है। नीति का लक्ष्य है कि वर्ष 2025 तक कम-से-कम 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाए। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल यह है कि व्यावसायिक शिक्षा को विद्यालय स्तर से ही प्रारंभ किया जाएगा, ताकि विद्यार्थी प्रारंभ से ही विविध व्यावहारिक कौशलों से परिचित हो सकें। साथ ही, विद्यालयों और कॉलेजों में इंटर्नशिप तथा कौशल विकास कार्यक्रमों को अनिवार्य किया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों को वास्तविक कार्य अनुभव प्राप्त हो सके और वे भविष्य के लिए अधिक सक्षम, आत्मनिर्भर एवं रोजगार-योग्य बन सकें।

7. डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा

डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इसमें डिजिटल तकनीक के समुचित उपयोग हेतु नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम (एन.ई.टी.एफ.) की स्थापना का प्रस्ताव है, जो शिक्षण, अधिगम और मूल्यांकन की प्रक्रियाओं में तकनीक के बेहतर प्रयोग को बढ़ावा देगा। इसके

साथ ही दीक्षा और स्वयं जैसे डिजिटल प्लेटफार्मों का विस्तार करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षण-सामग्री को अधिक सुलभ और व्यापक बनाने पर बल दिया गया है। कोविड-19 महामारी के दौरान उभरी शिक्षा की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, नीति में ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा की संरचना को सुदृढ़ बनाने, डिजिटल अवसंरचना को विकसित करने तथा शिक्षक प्रशिक्षण और सामग्री विकास के लिए समुचित कदम उठाने की बात कही गई है। यह पहल शिक्षा को समावेशी, लचीला और तकनीक-संपन्न बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अन्य मुख्य बिंदु

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय शिक्षा प्रणाली को अधिक समृद्ध, समावेशी और मूल्यनिष्ठ बनाने हेतु कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव दिए गए हैं। नीति के अंतर्गत भाषा आयोग की स्थापना का प्रस्ताव है, जो भाषायी नीतियों और उनके कार्यान्वयन को दिशा देगा। इसके साथ ही भारतीय ज्ञान प्रणाली (आइ.के.एस.) को पाठ्यचर्या में स्थान देकर विद्यार्थियों को भारत की पारंपरिक विद्या, विज्ञान, कला और दर्शन से परिचित कराने पर बल दिया गया है। नीति में यह भी सिफारिश की गई है कि शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय को जी.डी.पी. के 6 प्रतिशत तक बढ़ाया जाए, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त निवेश सुनिश्चित हो सके। इसके अतिरिक्त, मूल्य आधारित शिक्षा, सांस्कृतिक शिक्षा, तथा योग-अध्ययन को शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर समाहित करने का प्रस्ताव है, जिससे विद्यार्थियों का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके और वे जड़ से जुड़े, जागरूक और संतुलित नागरिक बन सकें।

अध्यापक शिक्षा की वर्तमान स्थिति

भारत में अध्यापक शिक्षा का क्षेत्र एक महत्वपूर्ण लेकिन जटिल विषय है जो शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता को सीधे प्रभावित करता है। यह केवल शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह उन्हें वैचारिक, नैतिक, शैक्षणिक, तकनीकी और व्यावहारिक दृष्टियों से परिपक्व बनाने का माध्यम भी है। हालाँकि, वर्तमान समय में अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनेक समस्याएँ विद्यमान हैं, जो इस प्रणाली की प्रभावशीलता को सीमित करती हैं। नीचे अध्यापक शिक्षा की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण बिंदुवार विस्तार से किया गया है।

संस्थानों की बेतरतीब वृद्धि

भारत में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या तो बड़ी मात्रा में है, लेकिन इनमें से बहुत से संस्थान केवल व्यावसायिक लाभ के उद्देश्य से संचालित हो रहे हैं। गुणवत्ता की उपेक्षा करते हुए ये संस्थान प्रशिक्षण कार्यक्रमों को केवल डिग्री प्रदान करने के औपचारिक माध्यम के रूप में उपयोग करते हैं। कई संस्थानों में प्रयोगशालाएँ, पुस्तकालय, आई.सी.टी. सुविधाएँ या प्रशिक्षित संकाय सदस्य आदि या तो उपलब्ध नहीं हैं और यदि हैं भी तो पर्याप्त संख्या में नहीं हैं।

व्यावहारिक प्रशिक्षण की कमी

शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सैद्धांतिक शिक्षा पर अत्यधिक बल दिया जाता है, जबकि व्यावहारिक

प्रशिक्षण, जैसे— शिक्षण अभ्यास, कक्षा अवलोकन, व्यावहारिक कौशल आदि का हिस्सा अत्यंत सीमित या सतही होता है। प्रशिक्षु अध्यापक वास्तविक कक्षा स्थितियों का सामना किए बिना ही प्रशिक्षण पूर्ण कर लेते हैं।

पाठ्यक्रम की असंगतता और पुरातनता

अनेक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों में उपयोग किया जा रहा पाठ्यक्रम आज की बदलती शैक्षिक आवश्यकताओं से मेल नहीं खाता। इसमें नवीन शिक्षण विधियों, शिक्षाशास्त्रीय नवाचार, डिजिटल शिक्षण, समावेशी शिक्षा, मूल्य-आधारित शिक्षण जैसे विषयों का समुचित समावेश नहीं है।

डिजिटल दक्षता का अभाव

कोविड-19 के बाद ऑनलाइन शिक्षण का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है, लेकिन अधिकांश प्रशिक्षु शिक्षक एवं शिक्षक प्रशिक्षक डिजिटल टूल्स, शिक्षण प्रबंधन प्रणाली (एल.एम.एस.), वर्चुअल क्लासरूम तथा ई-कंटेंट निर्माण जैसे क्षेत्रों में दक्ष नहीं हैं। इसके कारण वे आधुनिक कक्षा की मांगों को पूरा करने में अक्षम हो जाते हैं।

शोध एवं नवाचार की उपेक्षा

अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार, एक्शन रिसर्च आदि की भूमिका महत्वपूर्ण है, जिससे शिक्षण विधियों में सुधार लाया जा सके। परंतु अधिकांश बी.एड. और एम.एड. संस्थानों में अनुसंधान केवल औपचारिक कार्य बनकर रह गया है, जिसमें नवीनता, विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण और व्यावहारिक उपयोगिता का अभाव रहता है।

प्रशिक्षकों की गुणवत्ता

शिक्षक प्रशिक्षकों की गुणवत्ता और उनकी नियमित पेशेवर विकास भी एक चुनौती है। अनेक प्रशिक्षक स्वयं अपर्याप्त रूप से प्रशिक्षित होते हैं या लंबे समय से किसी प्रकार के प्रशिक्षण या नवाचार से नही जुड़े होते। इससे प्रशिक्षुओं को अद्यतन जानकारी और प्रेरक प्रशिक्षण नही मिल पाता।

मूल्य और नैतिक शिक्षा की उपेक्षा

शिक्षण केवल जानकारी देना नहीं है, बल्कि यह मानवीय मूल्य, सहानुभूति, करुणा तथा लोकतांत्रिक दृष्टिकोण विकसित करने का माध्यम है, परंतु वर्तमान अध्यापक प्रशिक्षण में नैतिक शिक्षा एवं भारतीय दर्शन आधारित मूल्य शिक्षा की भूमिका सीमित होती जा रही है, जिससे शिक्षकों में सेवा भावना और सामाजिक प्रतिबद्धता का अभाव देखा जा रहा है।

नियमन और निगरानी की समस्याएँ

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जैसी संस्थाएँ शिक्षक शिक्षा की निगरानी करती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इनके निर्देशों के कार्यान्वयन में भारी अंतर देखा जाता है। फर्जी डिग्रियाँ, बिना निरीक्षण के मान्यता, न्यूनतम मानकों की अनदेखी जैसी समस्याएँ व्यापक हैं।

रोजगारोन्मुखीता का अभाव

शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों का सीधा संबंध रोजगार से होना चाहिए, लेकिन कई बार प्रशिक्षुओं को इस क्षेत्र में नौकरी मिलने में कठिनाई होती है, क्योंकि

उनकी प्रशिक्षण की गुणवत्ता अपेक्षित मानकों पर खरी नहीं उतरती। इसके परिणामस्वरूप प्रशिक्षु शिक्षक हतोत्साहित होते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित सुधार

चार वर्षीय समेकित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम)

एन.ई.पी. 2020 के अनुसार वर्ष 2030 तक सभी अध्यापक बनने वाले विद्यार्थियों के लिए चार वर्षीय बहुविषयी समेकित बी.एड. कार्यक्रम अनिवार्य किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। यह कार्यक्रम शिक्षक बनने के इच्छुक विद्यार्थियों को विषय की गहराई, शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल, मूल्य शिक्षा और तकनीकी दक्षता से लैस करेगा। यह कार्यक्रम उन विद्यार्थियों के लिए होगा जो 12वीं कक्षा के बाद सीधे अध्यापक बनना चाहते हैं। इसमें विषयगत अध्ययन और व्यावसायिक प्रशिक्षण का संतुलन होगा। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा डिजाइन किया जाएगा और विश्वविद्यालयों द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा।

शिक्षण को समाज में सर्वाधिक प्रतिष्ठित पेशा बनाना

शिक्षण को समाज में सर्वाधिक प्रतिष्ठित पेशा बनाना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक प्रमुख उद्देश्य है। यह नीति शिक्षण को एक मूल्य-आधारित, पेशेवर, आकर्षक और सम्मानजनक करियर विकल्प के रूप में स्थापित करने का प्रयास करती है। इसके तहत श्रेष्ठ विद्यार्थियों को अध्यापन की ओर आकर्षित करने के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है, ताकि प्रतिभाशाली युवाओं को शिक्षा क्षेत्र में लाया जा सके। साथ ही, शिक्षकों की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए उन्हें नेतृत्व में भागीदारी और नीतिगत निर्णयों में सक्रिय भूमिका देने की बात कही गई है। इसके अतिरिक्त, शिक्षकों के लिए निरंतर प्रोत्साहन, पेशेवर विकास, और करियर प्रगति के स्पष्ट अवसर सुनिश्चित करने पर भी बल दिया गया है। इन उपायों के माध्यम से नीति का लक्ष्य शिक्षकों को समाज में वह गौरवपूर्ण स्थान दिलाना है, जिसके वे वास्तविक रूप से अधिकारी हैं।

शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता का निर्धारण

नीति में कहा गया है कि 2030 तक शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता चार वर्षीय समेकित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की डिग्री होगी। इससे अल्पकालिक और निम्न गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रथा समाप्त होगी। यह सुधार शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता और मानकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

शिक्षक प्रशिक्षण में बहुविषयी दृष्टिकोण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुविषयी शिक्षा की वकालत करती है, जिसका उद्देश्य शिक्षा को व्यापक, समग्र और जीवनोपयोगी बनाना है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को केवल विषयवस्तु या शिक्षण विधियों तक सीमित न रखकर उनमें साहित्य, कला, दर्शन, मूल्य शिक्षा, योग, नैतिकता और पर्यावरण चेतना जैसे घटकों को भी समाहित किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह है कि शिक्षक न केवल विषय विशेषज्ञ हों, बल्कि वे सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक दृष्टि से भी समृद्ध

हों। नीति में यह स्पष्ट रूप से प्रस्तावित है कि शिक्षकों को समग्र और संतुलित व्यक्तित्व निर्माण के लिए प्रशिक्षित किया जाए, ताकि वे विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में प्रभावी भूमिका निभा सकें। इस प्रकार की बहुविषयी तैयारी से शिक्षकों की संवेदनशीलता, रचनात्मकता और जिम्मेदारी में वृद्धि होगी, जो एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली की नींव है।

राष्ट्रीय शिक्षक व्यावसायिक मानक (एन.पी.एस.टी.)

राष्ट्रीय शिक्षक व्यावसायिक मानक का प्रस्ताव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में किया गया है, जिसका उद्देश्य शिक्षकों की गुणवत्ता और व्यावसायिकता को सुनिश्चित करना है। नीति में सुझाव दिया गया था कि वर्ष 2022 तक एन.पी.एस.टी. तैयार किया जाए, जो शिक्षकों की पेशेवर दक्षताओं, आचार संहिता, शिक्षाशास्त्रीय समझ, और प्रभावी शिक्षण पद्धतियों पर आधारित होगा। इन मानकों के आधार पर शिक्षकों के मूल्यांकन, पदोन्नति और प्रशिक्षण की पारदर्शी और व्यवस्थित योजना बनाई जाएगी, जिससे शिक्षकों को निरंतर सुधार और करियर प्रगति के अवसर मिल सकें। एन.पी.एस.टी. का विकास राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के सहयोग से किया गया है। यह पहल शिक्षण को एक पेशेवर और उत्तरदायी क्षेत्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

निरंतर व्यावसायिक विकास (सी.पी.डी.)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षकों की गुणवत्ता और दक्षता में सतत सुधार हेतु निरंतर व्यावसायिक विकास को एक अनिवार्य प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करती है। नीति के अनुसार, प्रत्येक शिक्षक को प्रति वर्ष न्यूनतम 50 घंटे का सी.पी.डी. प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। इस प्रशिक्षण में नवीन शिक्षण विधियाँ, तकनीकी उपकरणों का उपयोग, समावेशी शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता, और कक्षा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों को सम्मिलित किया जाएगा। यह पहल शिक्षकों को वर्तमान शैक्षिक परिवेश के अनुरूप अद्यतन बनाए रखने में सहायक होगी, साथ ही उनकी पेशेवर समझ, संवेदनशीलता और दक्षताओं को भी समृद्ध करेगी। इस प्रकार, सी.पी.डी. शिक्षकों के निरंतर विकास और विद्यार्थी केंद्रित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने का सशक्त माध्यम बनेगा।

डिजिटल साक्षरता और (आई.सी.टी.) आधारित प्रशिक्षण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 डिजिटल युग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षक प्रशिक्षण में आधुनिक तकनीकी उपकरणों के समावेश पर विशेष बल देती है। नीति में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि शिक्षकों को आई.सी.टी. (सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी), ऑनलाइन शिक्षण, ई-लर्निंग टूल्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए.आई.), तथा आवर्धित/आभासी वास्तविकता (ए.आर./वी.आर.) जैसे उभरते तकनीकी टूल्स से लैस किया जाना चाहिए। इसके लिए शिक्षकों को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने का प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव है, ताकि वे डिजिटल संसाधनों का प्रभावी और सृजनात्मक उपयोग कर सकें। साथ ही, दीक्षा, स्वयं जैसे डिजिटल रिपॉजिटरी के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया गया है, जिससे गुणवत्तापूर्ण और

सुलभ शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जा सके। यह पहल शिक्षकों को 21वीं सदी की शिक्षण चुनौतियों के लिए तैयार करने की दिशा में एक ठोस कदम है।

शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता और निगरानी

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत केवल उन्हीं शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी जो मान्यता प्राप्त और उच्च गुणवत्ता वाले होंगे। इन संस्थानों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदर्शन आधारित मान्यता प्रणाली के माध्यम से मूल्यांकन किया जाएगा। इस प्रक्रिया के अंतर्गत संस्थानों में कार्यरत प्रशिक्षकों की गुणवत्ता, शैक्षणिक अवसंरचना, नवाचार की प्रवृत्ति, शोध गतिविधियों और तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता एवं उपयोगिता का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाएगा, जिससे शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

भाषा की भूमिका और स्थानीय संदर्भ

शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में स्थानीय भाषाओं और संस्कृति को विशेष महत्व दिया जाएगा, ताकि शिक्षण अधिक प्रासंगिक और प्रभावी बन सके। इसके अंतर्गत शिक्षकों को उनकी मातृभाषा में शिक्षण करने की दक्षता प्रदान की जाएगी, जिससे वे अपने विद्यार्थियों से बेहतर संवाद स्थापित कर सकें और उनके सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश को समझते हुए शिक्षा प्रदान कर सकें। यह पहल शिक्षण को अधिक सजीव, सुलभ और विद्यार्थियों के अनुभवों से जुड़ा बनाएगी।

विशेष आवश्यकताओं वाले शिक्षकों के लिए समावेशी प्रशिक्षण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने पर विशेष बल देती है। इसके अंतर्गत विभिन्न क्षमताओं और पृष्ठभूमियों वाले विद्यार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं को समझने और पूरा करने हेतु विशेष शिक्षकों के लिए अलग प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम यह सुनिश्चित करेंगे कि शिक्षक विविधताओं को सम्मान देते हुए सभी विद्यार्थियों के साथ प्रभावी, संवेदनशील और सहयोगात्मक ढंग से शिक्षण कर सकें।

शिक्षक शिक्षा में शोध और नवाचार को प्रोत्साहन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, बी.एड., एम.एड. और पी.एच.डी. जैसे शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों में एक्शन रिसर्च, नवाचारी शिक्षण पद्धतियाँ तथा विद्यालय-आधारित शोध को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह नीति शिक्षक प्रशिक्षकों को भी शोध आधारित शिक्षण के लिए प्रोत्साहित करने की बात करती है, ताकि वे शिक्षण में अनुसंधान की दृष्टि विकसित कर सकें। साथ ही, नीति यह भी प्रस्तावित करती है कि शिक्षक शिक्षा संस्थानों में शोध को बढ़ावा देने हेतु रिसर्च फंड और नवाचार प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाए, जिससे शैक्षिक गुणवत्ता और व्यावहारिक समझ में सतत सुधार हो सके।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अध्यापक शिक्षा हेतु अवसर

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एन.ई.पी. 2020) अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनेक नवाचारपूर्ण अवसर प्रस्तुत करती है। यह नीति शिक्षकों के पेशेवर सशक्तीकरण पर विशेष बल देती है, जिसके अंतर्गत उन्हें सतत पेशेवर विकास (सी.पी.डी.), तकनीकी प्रशिक्षण और शोध कार्यों के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (आई.टी.ई.पी.) जैसे कदमों से प्रशिक्षण की गुणवत्ता में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। नीति समावेशी दृष्टिकोण को भी बढ़ावा देती है, जिससे विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और भाषायी पृष्ठभूमियों से आने वाले विद्यार्थियों को समान अवसर उपलब्ध हो सकें। डिजिटल युग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, शिक्षकों को प्रौद्योगिकी आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे वे नवीन शिक्षण विधियों से परिचित हो सकें। इसके अतिरिक्त, नीति शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक मानक – राष्ट्रीय शिक्षक व्यावसायिक मानक, (एन.पी.एस.टी.) – स्थापित करने का भी प्रावधान करती है, जो शिक्षक पेशे को अधिक सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण बनाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अध्यापक शिक्षा हेतु चुनौतियाँ

हालाँकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत अध्यापक शिक्षा से संबंधित प्रस्ताव दूरदर्शी और सकारात्मक हैं, परंतु व्यावहारिक धरातल पर इनका क्रियान्वयन अनेक चुनौतियों से घिरा हुआ है। सबसे बड़ी चुनौती वित्तीय संसाधनों की कमी है, क्योंकि उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना हेतु बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, कई राज्यों में बुनियादी शैक्षिक ढाँचा ही पर्याप्त नहीं है, जिससे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन कठिन हो जाता है। पुराने तरीकों से प्रशिक्षित शिक्षक नवीन प्रणाली को अपनाने में मानसिक रूप से असहज महसूस कर सकते हैं, जिससे परिवर्तन का प्रतिरोध उत्पन्न होता है। वहीं, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षक शिक्षा की पहुँच आज भी सीमित है, जिससे समावेशी विकास में बाधा उत्पन्न होती है। इसके साथ ही, नीति के सफल कार्यान्वयन हेतु केंद्र और राज्य सरकारों के बीच प्रभावी समन्वय आवश्यक है, जिसकी वर्तमान में कमी देखी जा सकती है। इन सभी चुनौतियों का समाधान किए बिना नीति की अपेक्षित सफलता सुनिश्चित करना कठिन होगा।

समाधान एवं सुझाव

नीति को प्रभावशाली रूप से लागू करने के लिए कुछ ठोस और व्यावहारिक सुझाव अपनाए जा सकते हैं, जो इसके उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होंगे। सबसे पहले, शिक्षकों को नीति की समझ और उसकी अपेक्षाओं से परिचित कराने हेतु व्यापक प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन आवश्यक है। राज्य स्तर पर एक मजबूत क्रियान्वयन तंत्र विकसित किया जाना चाहिए, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी, बी.आर.सी. और सी.आर.सी. की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही, डिजिटल अवसंरचना को सुदृढ़ करना होगा, ताकि शिक्षक तकनीकी रूप से दक्ष बन सकें और डिजिटल उपकरणों का प्रभावी उपयोग कर सकें। शिक्षकों के नवाचार और

शोध को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें शोधवृत्तियाँ और नवाचार निधि प्रदान की जानी चाहिए। अंततः शिक्षक शिक्षा में नैतिक शिक्षा, भारतीय ज्ञान परंपरा और बाल मनोविज्ञान जैसे मूलभूत तत्वों का समावेश सुनिश्चित करना आवश्यक है, ताकि शिक्षण न केवल ज्ञानवर्धक बल्कि संस्कारशील और बालकेंद्रित भी बन सके। ये प्रयास नीति को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की एक ऐतिहासिक पहल है, जो विशेष रूप से अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधारों का मार्ग प्रशस्त करती है। यह नीति न केवल शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अधिक व्यावहारिक, बहुआयामी और समग्र बनाती है, बल्कि इसे समाज और विद्यार्थियों की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप भी ढालती है। एन.ई.पी. 2020 के अंतर्गत चार वर्षीय समेकित बी.एड. पाठ्यक्रम, बहु-विषयक संस्थानों में अध्यापक प्रशिक्षण, तकनीकी नवाचारों का समावेश, नैतिक मूल्यों की स्थापना, तथा शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास जैसे सुधार, अध्यापन को एक उच्च स्तरीय पेशे के रूप में स्थापित करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास हैं।

इस नीति से यह स्पष्ट होता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तभी संभव है जब शिक्षकों की तैयारी, उनके प्रशिक्षण की पद्धतियाँ और मूल्यांकन के मापदंड विश्वसनीय और प्रभावी हों। अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता सीधे विद्यार्थियों की शिक्षा और सीखने के परिणामों को प्रभावित करती है, इसलिए इसमें किए गए सुधार देश के समग्र विकास में भी सहायक सिद्ध होंगे।

अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। यदि इसे प्रभावी रूप से लागू किया जाए, तो यह न केवल शिक्षकों की गुणवत्ता में अभूतपूर्व सुधार लाएगी, बल्कि भारत को एक ज्ञान-आधारित, समावेशी और नवाचारशील समाज की ओर भी अग्रसर करेगी।

संदर्भ

एन.सी.टी.ई. 2021. *नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स (एन.पी.एस.टी.)*. नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन. https://ncte.gov.in

एन.यू.ई.पी.ए. 2020. *स्टेट ऑफ टीचर एजुकेशन एंड एजुकेटर्स इन इंडिया*. नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन.

कुमार, के. 2020. टीचर एजुकेशन एंड एन.ई.पी. 2020 : रिफ्लेक्शंस एंड रोडमैप्स. *एजुकेशनल रिव्यू*. 56(2). पृ.सं. 134–141 https://doi.org/10.1177/0013111X20978412

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 2019. *ड्रॉफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019*. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/Draft_NEP_2019_EN_Revised.pdf

रा.शै.अ.प्र.प. 2021. *टीचर एजुकेशन करिकुलम फ्रेमवर्क इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन.ई.पी. 2020*. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली. https://ncert.nic.in

शर्मा, आर. 2021. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन.ई.पी. 2020 इन टीचर एजुकेशन : इशूज एंड चैलेंजेज. *जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशन*. 47(1). पृ.सं. 21–32.

शिक्षा मंत्रालय. 2020. *नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020*. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf